

SHCIL

12007000

(2)

भूमि मूल्यांकन सूची दर क्रमांक - प्रारूप 4 कं०को० 0334 के अनुसार 84,00,000/-
रूपया प्रति हेक्टेयर पेज नं० 105

स्टाम्प का कुल योग	-	1,05,000/-
दस्तावेज का प्रकार	-	बैनामा
विक्रय मूल्य	-	15,00,000/-
जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य	} -	12,08,000/-
मौजा	-	सिमरधा
ब्लॉक	-	बड़ागाँव
मापन की इकाई	-	हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.1437 हे०
सड़क की स्थिति	-	किसी भी सर्वत्रटु मार्ग पर स्थित नहीं है
पेड़ों का मूल्यांकन	-	कोई पेड़ नहीं है।
बोरिंग/कुआँ/अन्य	-	कोई कुआँ नहीं हैं।
प्रथम पक्ष की संख्या	-	एक
द्वितीय पक्ष की संख्या	-	एक (निष्पादक तीन)



आवेदन सं०: 202300860003183

विक्रय पत्र



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1199

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 1500000 स्टाम्प शुल्क- 105000 बाजारी मूल्य - 1208000 पंजीकरण शुल्क - 15000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 15060

श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी द्वारा
पवन कुमार साहू अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री संतोष कुमार साहू
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: 91/1, सिविल लाइन झांसी



पवन कुमार साहू अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 04/02/2023
एवं 12:49:13 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक :सदर द्वितीय
झांसी
04/02/2023

निबंधक लिपिक
04/02/2023

(3)

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष – मैसर्स घनाराम इन्फ्राइन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
CIN-U45204DL2013PTC251052 पता 8/18 बेस्ट
पटेल नगर नई दिल्ली (PAN-AAFCG-1580-R)
द्वारा निदेशक श्री बिशुन सिंह पुत्र श्री घनाराम
निवासी- 240/4ए, कचहरी चौराहा के, सिविल
लाइन, शहर व जिला झांसी (जिसकी पहचान
आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 6800 से की गई है
मो० नं० 9415030034) (पेशा- व्यापार)

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष – श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी पता जीएस-01,
विजन हाईट्स हाउसिंग सोसायटी, ओमशान्ति
ग्रीन के सामने, राजघाट कॉलोनी के पास, शिवपुरी
रोड, झांसी (PAN-AEQFS-8625-D) द्वारा
डायरेक्टर्स

1. श्री पवन कुमार साहू पुत्र श्री संतोष कुमार साहू
निवासी- 91/1, सिविल लाइन, शहर व जिला
झांसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं० XXXX
XXXX 3212 से की गई है मो० नं० 9452230749)
(पेशा- व्यापार)









आवेदन सं०: 202300860003183

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1199

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त


विक्रेता: 1

श्री मैसर्स घनाराम इन्फ्राइन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा
बिशुन सिंह, पुत्र श्री घनाराम

निवासी: 240/4ए, कचहरी चौराहा के पास, सिविल लाइन
झांसी

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1




श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा पवन कुमार साह,
पुत्र श्री संतोष कुमार साह

निवासी: 91/1, सिविल लाइन झांसी

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 2




श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा अमन मदान, पुत्र
श्री अवतार सिंह

निवासी: 452/2ए, सी०पी०मिशन कम्पाउण्ड झांसी

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 3



श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी के द्वारा शशिकान्त दिवेदी,
पुत्र श्री स्व० विशम्भर प्रसाद दिवेदी

निवासी: 1054/2ए, खातीबाबा, मंदिर, ईसाईटोला झांसी

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री संतोष कुमार राय, पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय

निवासी: कोटखेरा, शहर व जिला झांसी

व्यवसाय: व्यापार



पहचानकर्ता: 2



(4)

2. श्री अमन मदान पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी—
452/2ए, सी0पी0 मिशन कम्पाउण्ड, शहर व
जिला झॉसी (जिसकी पहचान आधार कार्ड सं0
XXXX XXXX 4694 से की गई है मो0नं0
9415057799) (पेशा— व्यापार)
3. श्री शशिकान्त द्विवेदी पुत्र स्व0 श्री विशम्भर
प्रसाद द्विवेदी निवासी— 1054/2ए, खाती बाबा
मंदिर, ईसाइटोला, शहर व जिला झॉसी (जिसकी
पहचान आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 0376 से
की गई है मो0नं0 9935186919) (पेशा— व्यापार)

सम्पत्ति का विवरण :- अर्द्धनगरीय क्षेत्र की आराजी भूमिधरी वाकै मौजा सिमरधा ब्लॉक बड़ागॉव परगना व जिला झॉसी जिसके आराजी नम्बरान व रकवा जैल में दर्ज है। विक्रित आराजी झॉसी—ग्वालियर रोड से दूर यानि किसी भी सवक्रुतु मार्ग पर स्थित नहीं है तथा आबादी से 200 मीटर की त्रिज्या से अधिक दूर स्थित है। दस्तावेज हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित नम्बर वरंग लाल से दर्शाया गया है जो बैनामा का अंश भाग है, विक्रित आराजी व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र की भूमि नहीं हैं, राजस्व अभिलेखों के अनुसार कृषकीय भूमि है जो असिंचित है विक्रित आराजी में कोई पेड, कुंआ आदि नहीं है, वयशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है विक्रित आराजी विक्रेता ने जरिये बैनामा दिनांक 18-02-2021ई0 श्रीमती राधा पत्नी स्व0 श्री बलवीर से खरीद किया था जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झॉसी में वहीं संख्या I. जिल्द



श्री अनिल गौतम, पुत्र श्री राम चरन

निवासी: आर०बी० दितीय 508-बी, रानी लक्ष्मी नगर रेलवे
कॉलोनी झांसी

व्यवसाय: व्यापार

Anil



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक : सदर द्वितीय
झांसी
04/02/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।
टिप्पणी :

निबंधक लिपिक झांसी
04/02/2023

(5)

9077 के पृष्ठ 169/192 पर क्रम संख्या 2232 दिनांक 25-02-2021ई0 दर्ज है। विक्रित आराजी में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत कोई घोषणा नहीं की गई है। दस्तावेज हाजा में उ0प्र0 सरकार अधिसूचना आदेश संख्या सं0वि0क0नि0-5-2756/11-2008- दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार कम्पनी द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति की मालियत 15,00,000/- पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उपरोक्त सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने की सीमा के अन्तर्गत स्थित है जिसके अनुसार 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।


<u>खाता सं0</u>	<u>आराजी नम्बर</u>	<u>रकवा</u>
00336	270	0.575 हे0


कुल 1 किता रकवा 0.575 हे0 का 1/4 भाग यानि रकवा 0.1437 हे0 वय किया गया है। विक्रित आराजी की सम्पूर्ण चौहद्दी - पूरब - आराजी नं0 261 व 273, पश्चिम - आराजी नं0 270 का जुज भाग, उत्तर- आराजी नं0 264, दक्षिण - आराजी नं0 269 व 271 है।

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है।

विक्रय मूल्य - 15,00,000/- पन्द्रह लाख रूपया जरिये RTGS. UTR No. KKBKR52023020100742223 कोटेक महिन्द्रा बैंक दिनांक 01.02.2023 पूर्व प्राप्त कर लिया है।

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा } 12,08,000/- बारह लाख आठ
निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य } - हजार रूपया से अधिक नहीं हैं।







(6)

मैं कि विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं हैं यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है, चूँकि मुझ विक्रेता को रूपयों की जरूरत है। अतः मैं विक्रेता उक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वदस्त क्रेता उपरोक्त कतई वय व फरोख्त करता हूँ। कब्जा दखल मालिकाना आराजी मुवैया पर क्रेता को मौके पर बखूवी करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काशत करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावें, कागजात मालिकान से मेरा नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें, आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा या मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स मिलकीयत की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा का देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता रहूँगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य पूरे-पूरे वर्णित किये गये हैं विक्रित आराजी सरकारी सम्पत्ति नहीं है और न ही किसी बैंक या विभाग में बंधक है। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवें।

मुकरर यह है कि उपरोक्त बैनामा में मु0 1,05,000 /- रूपया e-Stamp Certificate No. IN-UP23497160342038V स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

The image shows four distinct sets of handwritten signatures and fingerprints. Each set consists of a signature above a fingerprint. The signatures are written in black ink and vary in style, some being more cursive and others more blocky. The fingerprints are also in black ink and show clear ridge patterns. The entire set of signatures and fingerprints is arranged horizontally across the bottom of the page.



(7)

गवाह (1) - श्री संतोष कुमार राय पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय निवासी- कोटखेरा, शहर व जिला झांसी की पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 1499 से की गई है मो०नं० 9452591525 (पेशा- व्यापार)

गवाह (2) - श्री अनिल गौतम पुत्र श्री राम चरन निवासी- आर०बी० द्वितीय 508-बी, रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी, तहसील व जिला झांसी की पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 7849 से की गई है। मो०नं० 7007198185 (पेशा- प्राइवेट नौकरी)


दिनांक - 02-02-2023ई०

प्रारूपकर्ता - राजेश कुमार सिंह, दस्तावेज लेखक, तहसील झांसी

अनुज्ञप्ति सं० 1/2010-11 मो०नं० 9415401278

टाईपकर्ता - दीपक सिंह

राजेश कुमार सिंह
दस्तावेज लेखक तहसील झांसी
अनुज्ञप्ति सं० 1 वर्ष 2010-11
लिया गया शुल्क-1000/-
वर्ष 2022 से 2023



गवाह (1)





गवाह (2)



श्री संतोष कुमार राय
पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय
निवासी- कोटखेरा, शहर
व जिला झांसी

श्री अनिल गौतम पुत्र
श्री रामचरन निवासी
आर०बी० द्वितीय 508-बी,
रानी लक्ष्मी नगर रेलवे
कॉलोनी, तहसील व जिला
झांसी





एक किता आराजी बृत्ति वरी
 स्थित मॉजा - यिमर था
 नाम विक्रेता यनाबाण इन्फार्मि मिथर हा० हा०
 नाम क्रेता श्री पीतायरा इन्फार्मि
 चौहादी
 पूर्व आराजी नं० - २६१ व २७३
 पश्चिम आराजी नं० - २७० व २७५
 उत्तर आराजी नं० - २६५
 दक्षिण आराजी नं० २६९ व २७१


विक्रेता

क्रेता

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

आराजी इन्फार्मि
 ११२, प्रदीपन चौक
 M 941558882



नक्शा - नजरी

बिक्रेता का नाम: श्री. स. र. ध. नारायण इन्द्रावत जी ^{प्री. लि.} 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित



क्रेता का नाम: श्री. पी. ल. म. श. इन्द्रावत ^{एल. एल. पी.} समपत्ति के विवरण का मानचित्र


मौजा: शिसरधा...



200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग)


तहसील, परगना व जिला झाँसी से प्रदर्शित है।

भूमि नम्बर - 260





 हस्ताक्षर बिक्रेता




 हस्ताक्षर क्रेता


 MOHD. SALMAN KHAN
 OFF/RESI. 19 ALI GOLE
 AUTH. D/MAN (CIVIL)
 J.D.A., JHANSI
 L. No. 01..... DAT 02/02/2023
 MOB No.-8299880065

आवेदन सं०: 202300860003183

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10063 के पृष्ठ 351 से 368 तक क्रमांक
1199 पर दिनांक 04/02/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक : सदर द्वितीय
झांसी
04/02/2023



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बडागांव
मण्डल : झांसी , जनपद : झांसी , तहसील : झांसी
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202306370102588

वाद संख्या:- 2588/2023

पवन बनाम बिशुन

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 25/03/2023

न्यायालय नायब तहसीलदार बडागांव

बाद सं0-756/2023 मौजा-सिमरधा तहसील व जिला झांसी।

निर्णय

प्रस्तुत वाद उपनिवन्धक कार्यालय की हस्तान्तरण आख्या के आधार पर योजित हुआ। नियमानुसार इशतहार जारी किया गया, जो ग्राम में मुश्तहरी मुनादी तामील वापिस हुआ। कोई आपत्ति नहीं आई। वादी द्वारा साक्ष्य में वैनामा संख्या 1199 दिनांक 04-02-2023 स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। लेखपाल ग्राम की आख्या प्राप्त हुई। लेखपाल ने अपनी आख्या में कहा कि क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रीत भूमि संक्रमणीय भूमि धर है। भूमि सीलिंग की नहीं है। ग्राम में चकबन्दी हुई है। विक्रीत भूमि पर क्रेता का कब्जा हो गया है। क्रेता के पास क्रय की गई भूमि को शामिल करते हुए 18.75 एकड से अधिक भूमि नहीं है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उपलब्ध सभी साक्ष्यों का सम्यक अध्ययन किया। वाद निर्विवाद है। अतः साक्ष्यो एवं लेखपाल कि रिपोर्ट के आधार पर क्रेता के हक में नामान्तरण वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा-सिमरधा तहसील व जिला झांसी की खतौनी वर्ष 1429-1434 फसली के खाता सं 336 के गाटा सं0 270/0.575 हे0 का 1/4 भाग 0.1437 हे0 वय मालगुजारी 60 ख के अनुसार पर से विक्रेता- मैसर्स घनाराम इन्फ्राइजीनियर्स प्राईवेज लिमिटेड पता 8/18 बेस्ट पटेल नगर नई दिल्ली द्वारा निदेशक श्री बिशुन सिंह पुत्र श्री घनाराम निवासी 24/ए, कचहरी चैराहा के सिविल लाइन शहर व जिला झांसी के नाम के साथ क्रेता- श्री पीताम्बरा इन्फ्रासिटी एलएलपी पता जीएस-01, विजन हाईदस के सामने हाउसिंग सोसायटी ओमशान्ति ग्रीन के सामने राजघाट कॉलोनी के पास शिवपुरी रोड झांसी द्वारा डायरेक्टर श्री पवन कुमार साहू पुत्र श्री संतोष कुमार साहू निवासी 91/1, सिविल लाइन शहर झांसी व श्री अमन मदान पुत्र श्री अवतार सिंह निवासी 452/2ए, सी0पी0मिशन कम्पाउण्ड शहर व जिला झांसी श्री शशिकान्त द्विवेदी पुत्र स्व0 श्री विशम्भर प्रसाद द्विवेदी निवासी 1054/2ए, खाती बाबा मंदिर ईसाईटोला शहर व जिला झांसी नाम जरिये पंजीकृत वैनामा दिनांक 04-02-2023 के आधार पर वतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज हो। अर्थदण्ड देय नहीं है। पत्रावली वाद अमलदरामद दाखिल दफतर की जाये।

(राधा पालीवाल)

दिनांक- नायब तहसीलदार

बडागांव

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"